फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

मधु यादव बनाम गणेश चौधरी व अन्य

/वर्ष 246/23 /20

क आज्ञा ार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	प्रस्तुत नहीं किया। प्रथम द्रष्टया अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी को अधिकार सृजित नहीं होते है अतः वाद मे प्रस्तुत राजीनामा खारिज किया जाता है वकील वादी को हाल रापत्र रिकार्ड आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से पेश करने की हिदायत दी जाती है। पत्रावली दि0 30/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
30/8/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/9/24 को पेश हों।	
4/9/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/9/24 को पेश हों।	
11/9/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/9/24 को पेश हों।	
27/9/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। वादी व उसके अधिवक्ता की ओर से वक्त अदालत कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज रजिस्टर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:04:36 IST
Reason: SelfAttested